राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....1567/2015..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स पेप्सीको इण्डिया होल्डिंग प्रा0 लि0 जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, विशेष वृत, जयपु

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारी अहकाम जो इ हुक्म की तार्म में जारी हुए
10/11/2015	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री मनोहर पुरी, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के स्थगन प्रार्थना–पत्र संख्या अ.प्रा.–II/स्थगन/अ.सं. 256/15–16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 25.08.2015 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2012–13 के दौरान ब्राण्डेड खाद्य पदार्थ यथा **कुरकुरे, चिटोज, अंकल चिप्स, लेज़ चिप्स** आदि का विक्रय 5 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए किया गया है। सहायक आयुक्त, विशेष वृत–, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) ने अपीलार्थी व्यवहारी के ही पूर्ववर्ती वर्षों के कर निर्धारण आदेशों से सम्बन्धित अपीलों संख्या 2059/2007, 2181/2007, 2182/2007 व 2183/2007 में माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.05.2008 में उक्त वस्तुओं पर अनुसूची–V अनुसार सामान्य दर से करदेयता निर्धारित किये जाने के आधार पर, आलौच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.06.2015 को पारित करते हुए 9 प्रतिशत की दर से अन्तर कर एवं ब्याज, कुल रूपये 9,57,83,157/– का आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश से सृजित मांग की वसूली के स्थगन हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 38(4) के तहत प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.08.2015 से आंशिक स्वीकार करते हुए रूपये 3,16,70,253/– की वसूली पर स्थगन आदेश जारी करते हुए शेष राशि वसूलनीय अवधारित किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए बकाया मांग/वसूली योग्य राशि रूपये 5,45,34,589/– पर स्थगन आदेश जारी किये जाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि श्री अरविन्द खण्डेलवाल ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का विरोध करते हुए कथन किया कि वेट अधिनियम की अनुसूची–IV की प्रविष्ठि संख्या 131 में "Sweetmeat Deshi (including Gajak & Revri), bhujiya, branded and unbranded	

लगातार.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....1567/2015..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स पेप्सीको इण्डिया होल्डिंग प्रा0 लि0 जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, विशेष वृत, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 2 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/11/2015	namkeens." के अनुसार अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत माल पर भी 5 प्रतिशत की दर से करदेयता बनती है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मनमाने रूप से 14 प्रतिशत की दर से करदेयता मानते हुए तदनुसार अन्तर कर व ब्याज का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा भी आंशिक राशि का स्थगन स्वीकार करते हुए शेष राशि पर स्थगन से इंकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए बकाया मांग राशि की वसूली की कार्यवाही स्थगित किये जाने हेतु निवेदन किया। विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी मैसर्स पेप्सिको होल्डिंग प्रा0 लि0, जो कि पूर्णतः ब्राण्डेड उत्पादों का निर्माण करती है, द्वारा उत्पादित लेज़ व अंकल चिप्स का विक्रय किया गया है। उक्त उत्पाद वेट अधिनियम की अनुसूची-IV में कहीं भी इंद्राजित नहीं हैं। इसके विपरीत अनुसूची-IV की प्रविष्ठि संख्या 131 में 'Potato Chips' के साथ 'unbranded' शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका स्पष्ट आशय है कि ब्राण्डेड खाद्य पदार्थों पर अनुसूची-V के अनुसार करदेयता होगी। माननीय कर बोर्ड द्वारा इसी व्यवहारी के पूर्ववर्ती कर निर्धारण आदेशों से सम्बन्धित प्रकरणों में **पारित निर्णय दिनांक 16.5.2008** के अनुसार ब्राण्डेड नमकीन/वेफर्स/पोटेटो चिप्स पर सामान्य दर से करदेयता मानी गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने पर बल दिया। उभय पक्ष की बहस पर मनन करने, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान अध्ययन करने तथा उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन करने के पश्चात प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बगैर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार की जाती है। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। 10.11.2015 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर 10.11.2015 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	